क्रम-संख्या–41

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 9 मार्च, 2023

फाल्गुन 18, 1944 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

———————

संख्या 207 / वि0स0 / संसदीय / 06(सं)-2023

लखनऊ, 22 फरवरी, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, 2023 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 22 फरवरी, 2023 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2023

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1)यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 6 फरवरी, 2023 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1964 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—

(क) खण्ड (क) (क—2) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उक्त खण्ड के पूर्व निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :—

''(क) ''बी—हैवी शीरे'' का तात्पर्य बी—मासेक्यूइट के परिशोधन के परिणामस्वरूप प्राप्त शीरे से है जिसमें पूर्ववर्ती तीन चीनी मौसमों की उसी अवधि के दौरान वैक्यूम पैन चीनी कारखाना में समरूप प्रक्रिया से प्राप्त औसत शुद्धता के सदृश शुद्धता निहित है;

(क—1) ''ब्रिक्स'' का तात्पर्य ब्रिक्स डेंसिटोमेट्रिक स्केल पर व्यक्त विलयन के घनत्व से और इसमें घुलित ठोस पदार्थ के प्रतिशत को प्रकट किये जाने से है।''

(ख) खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

''(घ) ''शीरा'' का तात्पर्य गन्ना के रस या चीनी चाशनी से चीनी या खांडसारी चीनी के विनिर्माण के दौरान उपोत्पाद के रूप में उत्पादित भारी, गहरे रंग के लसदार द्रव से है, जब इस रूप में या किसी मिश्रण के रूप में द्रव में चीनी अन्तर्विष्ट हो और इसमें राब या गुड़ से उत्क्रम प्रक्रिया के माध्यम से चीनी विनिर्माण के दौरान प्राप्त उपोत्पाद भी सम्मिलित है;''

(ग) खण्ड (घ—1) निकाल दिया जायेगा;

(घ) खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

''(ङ) ''अध्यासी'' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका चीनी कारखाना या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई के मामलों में अंतिम नियंत्रण हो और इसमें चीनी कारखाना या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई का प्रबंध अभिकर्ता सम्मिलित है।''

(ङ) खण्ड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, आर्थात् :—

''(ज—1) ''खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई'' का तात्पर्य किसी आरक्षित क्षेत्र में खांडसारी चीनी के विनिर्माण या उत्पादन में लगी हुयी या साधारणतया लगी हुयी किसी इकाई से है और जो किसी यांत्रिक शक्ति द्वारा संचालित किसी क्षैतिज कोल्हू की सहायता से उत्पादित गन्ना रस की उठायी—धरायी करने योग्य हो;''

(च) खण्ड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

''(झ) ''आपूर्ति'' का तात्पर्य किसी चीनी कारखाना या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई के अध्यासी द्वारा अपनी इकाई या किसी अन्य इकाई यथा आसवनी या किसी शीरा आधारित उद्योग को शीरा प्रदान करने से है;''

(छ) खण्ड (ञ) निकाल दिया जायेगा;

(ज) खण्ड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :—

''(ट) ''गन्ना रस'' का तात्पर्य किसी वैक्यूम पैन चीनी कारखाना में सल्फाइटीकरण या शोधन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त प्राथमिक रस, द्वितीयक रस, मिश्रित रस तथा निर्मल रस से है;

(ठ) ''चीनी सिरप'' का तात्पर्य गन्ना के सांद्रित रस से है जिसमें कुल घुला ठोस अंश 50 डिग्री से अन्यून हो, जैसा कि ब्रिक्स द्वारा उपदर्शित हो। 50 डिग्री ब्रिक्स के नीचे उसे किसी वैक्यूम पैन चीनी कारखाना में ब्रिक्स प्रतिशत द्वारा उपदर्शित सांद्रता पर आधारित गाढ़ा रस या रस के रूप में माना जा सकता है;''

धारा 5 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 5 में, शब्द ''कारखाना'', जहाँ कहीं आया हो, के पश्चात् शब्द ''या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई'' बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 6 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 6 में शब्द ''कारखाना'', जहाँ कहीं आया हो, के पश्चात् शब्द ''या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई'' बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 7 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 7 में शब्द ''कारखाना'' जहाँ कहीं आया हो, के पश्चात् शब्द ''या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई'' बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 8 का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 8 में,–

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

''(1) नियंत्रक, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, आदेश द्वारा किसी चीनी कारखाना या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई के अध्यासी से, शीरे की उतनी मात्रा ऐसे व्यक्ति को जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, विहित रीति से विक्रय करने अथवा आपूर्ति करने की, अपेक्षा कर सकता है, और अध्यासी को किसी संविदा के होते हुए भी उक्त आदेश का अनुपालन करना होगा।''

(ख) उपधारा (2) के खण्ड (ख) में शब्द ''कारखाना'', जहाँ कहीं आया हो, के पश्चात् शब्द ''या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई'' बढ़ा दिये जायेंगे।

(ग) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

''(4) राज्य सरकार, समय–समय पर, शीरे के भंडारण, परिरक्षण, वितरण, आपूर्ति, विक्रय, परिवहन, ट्रैकिंग और निगरानी को विनियमित करने के उद्देश्य से ऐसी रीति से जैसा कि विहित की जाय और ऐसी दरों पर जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा अवधारित की जाय, किसी चीनी कारखाना या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई से किसी प्रकार के शीरा का विक्रय या उसकी आपूर्ति, या तो अपनी निजी इकाई या किसी अन्य इकाई यथा आसवनी या किसी शीरा आधारित उद्योग को किये जाने पर, विनियामक शुल्क अधिरोपित कर सकती है और ऐसा विनियामक शुल्क चीनी कारखाना अथवा खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई के अध्यासी से वसूल किया जाएगा।''

स्पष्टीकरण :– इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए समस्त चीनी कारखाने और साथ ही साथ खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाइयाँ, आबद्ध इकाइयों की शीरे की आबद्ध खपत पर विचार किये बिना, समान रूप से विनियमन के अध्यधीन होंगी।

धारा 10–क का संशोधन

7–मूल अधिनियम की धारा 10–क में शब्द ''कारखाना'', के पश्चात् शब्द ''या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई'' बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 17 का संशोधन

8–मूल अधिनियम की धारा 17 में शब्द ''कारखाना'', के पश्चात् शब्द ''या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई'' बढ़ा दिये जायेंगे तथा शब्द ''अन्तरित'' के स्थान पर शब्द ''विक्रीत'' रख दिया जायेगा।

धारा 18 का संशोधन

9–मूल अधिनियम की धारा 18 में,–

(क) पार्श्वांकित शीर्षक में शब्द ''कारखानों'' के पश्चात् शब्द ''या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाईयाँ'' बढ़ा दिये जायेंगे;

(ख) शब्द ''कारखाना'', जहाँ कहीं आया हो, के पश्चात् शब्द ''या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई'' बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 22 का संशोधन

10–मूल अधिनियम की धारा 22 में शब्द ''कारखानों'', जहाँ कहीं आया हो, के पश्चात् शब्द ''या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाईयाँ'' बढ़ा दिये जायेंगे और शब्द ''प्रशासनिक प्रभार'' के स्थान पर शब्द ''विनियामक शुल्क'' रख दिये जायेंगे।

निरसन और व्यावृत्ति	11–(1) उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2023 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।	उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2023
	(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।	

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश में चीनी कारखानों द्वारा उत्पादित शीरा के, भण्डारण, श्रेणीकरण तथा मूल्य पर नियंत्रण करने का उपबन्ध करने के लिए उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1964) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) अधिनियमित किया गया है।

सम्प्रति उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग 158 चीनी कारखाने हैं, जिनमें से केवल 120 इकाइयाँ वर्तमान में चीनी का विनिर्माण और इसके उप–उत्पाद के रूप में शीरे का उत्पादन कर रही हैं। इन चीनी कारखानों के अतिरिक्त, खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाइयों में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, जो खांडसारी चीनी और इसके व्युत्पाद यथा शीरे के विनिर्माण या उत्पादन में लगी हुई हैं। प्रायः यह देखा गया है कि खांडसारी इकाइयों से निर्मोचित शीरे की अनियंत्रित एवं अनियमित बिक्री हो रही है, जिसके कारण शीरे की तस्करी अक्षुण्ण रूप से जारी है। शीरा के मद्यसारिक पान में अवैध संपरिवर्तन किये जाने से न केवल राजस्व की वृहत क्षति होती है बल्कि मानव जीवन की भी भारी क्षति होती है।

अतएव अब, शीरे की तस्करी तथा इसके अपवंचक अपयोजन को रोकने के लिए न केवल चीनी कारखानों से, बल्कि खांडसारी चीनी विनिर्माण इकाइयों से भी उप–उत्पाद के रूप में प्राप्त शीरा संव्यवहार और कारोबार को विनियमित किया जाना समीचीन हो गया है । उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए चीनी उद्योगों और साथ ही साथ खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाइयों से उन्मोचित शीरा के विक्रय, आपूर्ति तथा वितरण पर विनियामक शुल्क अधिरोपित करने हेतु उक्त अधिनियम की सुसंगत धाराओं में संशोधन किये जाने का विनिश्चय किया गया ताकि ऐसी शीरा उन्मुक्ति के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण में उपगत लागत और व्ययों को पूरा किया जा सके।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही की जानी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 06 फरवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2023) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

नितिन अग्रवाल
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार),
आबकारी।

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2023 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धाराओं का उद्धरण

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964

धारा 2—परिभाषाएँ— विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में—

(क) "नियंत्रक" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन नियुक्त शीरा नियंत्रक से है।

(घ) "शीरा" का तात्पर्य गन्ना या गुड़ से चीनी विनिर्मित किये जाने के दौरान उप उत्पाद के रूप में उत्पादित गाढ़े, गहरे रंग के लसदार द्रव से है, जब इस रूप में या किसी मिश्रण के रूप में द्रव्य में चीनी अन्तर्विष्ट हो, जिसमें बी—हैवी शीरा और खाण्डसारी शीरा सम्मिलित है।

(घ—1) "कैप्टिव उपभोग के लिये शीरा" का तात्पर्य ऐसे अन्तरित शीरे से है जो चीनी मिल के अध्यासी द्वारा किसी ऐसी आसवनी अथवा अन्य औद्योगिक इकाई को अन्तरित किया गया हो, जिनका स्वामित्व चीनी मिल का ही हो और वह चीनी मिल के परिसर में या चीनी मिल से लगे हुए समीपस्थ स्थल पर स्थित हो, जिससे किसी वाहन द्वारा चीनी मिल के परिसर या गेट के बाहर ऐसे शीरे के अन्तरण या परिवहन की आवश्यकता न हो।

(ङ) शक्कर के कारखाने के सम्बन्ध में "अध्यासी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका उक्त कारखाने के मामलों पर अन्तिम नियंत्रण हो और इसके अन्तर्गत कारखानों का प्रबन्ध अभिकर्ता भी है।

(ज) "शक्कर के कारखाने" अथवा "कारखाने" का तात्पर्य उसकी प्रसीमाओं सहित किसी ऐसे भू–गृहादि से है, जहॉ बीस या उससे अधिक कर्मी काम कर रहे हों या पिछले बारह महीनों में किसी दिन काम कर रहे थे और जिसके किसी भाग में विद्युत—शक्ति की सहायता से निर्वात पात्रों द्वारा शक्कर के उत्पादन से सम्बन्धित निर्माण—प्रक्रिया की जा रही हो या साधारणतया की जाती है।

(झ) "संभरण" के अन्तर्गत किसी चीनी मिल के अध्यासी द्वारा किसी आसवनी या औद्योगिक इकाई को शीरे का अन्तरण सम्मिलित होगा।"

(ञ) "अन्तरण" के अन्तर्गत किसी चीनी मिल के अध्यासी द्वारा किसी आसवनी या औद्योगिक इकाई को स्टाक अन्तरण या कैप्टिव उपभोग हेतु शीरे का अन्तरण सम्मिलित होगा।"

धारा 5—शीरे का संरक्षण—शक्कर के कारखाने का प्रत्येक अध्यासी निम्नलिखित की व्यवस्था करेगा—

(क) कारखाने में उत्पादित शीरे के निरापद संरक्षण के लिये कारखाने, के भू—गृहादि के भीतर आच्छादित स्थान;

(ख) चूने, रिसने ऊपर से बह निकलने या अन्य ऐसी दुर्घटना से जिससे कारखाने में संग्रहीत शीरे के गुण को क्षति पहुंचने की सम्भावना हो, रक्षा के पर्याप्त पूर्वोपाय;

(ग) शीरे के साथ पानी के मिश्रण या ताजे शीरे के साथ पुराने बिगड़े हुए शीरे के मिश्रण को रोकने के लिए पर्याप्त प्रबन्ध; और

(घ) शीरे के उठाने—धरने की, जिसके अन्तर्गत शीरे के नमूने लेना, उसे पम्प करना और टंकी वैगनों, टैंक लारियों तथा अन्य पात्रों में भरना भी है,, के लिये पर्याप्त सुविधाएं।

धारा 6—अपमिश्रण से संरक्षण—

(1) शक्कर के कारखाने का कोई अध्यासी अपने द्वारा उत्पादित या स्टाक के किसी शीरे का अपमिश्रण न तो करेगा न करने देगा।

(2) शक्कर के किसी कारखाने की किसी संग्रहण टंकी में ऐसे शीरे का होना जिसमें शक्कर की मात्रा [लेन और इगनान के आयातनमिति विधि द्वारा अवधारित कुल अपाचयक शक्कर (reducing sugar) के रूप में व्यक्त] चालीस प्रतिशत से कम हो, यह परिकल्पना करने के लिए पर्याप्त होगा कि कारखाने के अध्यासी ने शीरे का अपमिश्रण किया है या करने दिया है।

धारा 7—अपमिश्रित शीरे का हटाया जाना—

(1) नियंत्रक, शुद्ध शीरे का समुचित संग्रहण, संरक्षण, श्रेणीकरण, सम्भरण अथवा निस्तारण सुनिश्चित करने के उदेश्य से शक्कर के कारखाने के अध्यासी से कारखाने के भू—गृहादि से किसी अपमिश्रित शीरे को, नियंत्रक द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली युक्तियुक्त अवधि के भीतर हटाने की अपेक्षा कर सकता है और अध्यासी अनुमत समय के भीतर उक्त अपेक्षा की पूर्ति करेगा।

(2) धारा 6 की उपधारा (2) में उल्लिखित शीरा इस धारा के प्रयोजन के लिये अपमिश्रित समझा जायेगा।

धारा 8–शीरे की बिक्री और उसका सम्भरण–(1) नियंत्रक राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, आज्ञा द्वारा शक्कर के किसी कारखाने के अध्यासी से, शीरे की उतनी मात्रा ऐसे व्यक्ति को जो आज्ञा में निर्दिष्ट हो, नियत रीति से अन्तरित करने अथवा बेचने अथवा सम्भरित करने की, अपेक्षा कर सकता है, और अध्यासी किसी संविदा के होते हुए भी उस आज्ञा का पालन करेगा।

धारा 8–(2) (ख) स्टाक की संपूर्ण मात्रा या वर्ष में उत्पादित किये जाने वाले शीरे की संपूर्ण मात्रा के लिए या उसके किसी भाग के लिए हो सकती है, किन्तु शक्कर के प्रत्येक कारखाने से सम्भरित किये जाने वाले शीरे का उस वर्ष में कारखाने के कुल शीरे का अनुमानित उत्पादन से अनुपात राज्य भर में एक ही होगा, सिवाय उस दशा में जब नियंत्रक की राय में, निम्नलिखित में से किसी कारण से अन्तर आवश्यक हो,

धारा 8–(4) राज्य सरकार, समय–समय पर ऐसी रीति से और ऐसी दरों पर जैसा विहित किया जाये, किसी चीनी कारखाना से शीरा का किसी प्रकार का विक्रय, अंतरण या आपूर्ति किये जाने पर शीरा के ऐसे संरक्षण, आपूर्ति एवं वितरण पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण करने पर उपगत लागत तथा व्ययों को पूरा करने हेतु विनियामक फीस अधिरोपित कर सकती है और ऐसी फीस की वसूली, चीनी कारखाना के अध्यासी से की जा सकती है।

धारा 10–क–संग्रहण की पर्याप्त सुविधाओं को विनियमित करने के लिए निधि–शक्कर के प्रत्येक कारखाने के अध्यासी, नीचे विनिर्दिष्ट विभिन्न श्रेणियों के शीरे के विक्रय मूल्य से ऐसी धनराशि, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचित करे, नियंत्रक द्वारा समय पर जारी की गयी सामान्य या विशेष आज्ञा के अनुसार संग्रहण की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था तथा अनुरक्षण करने के लिए एक पृथक निधि में रखेगा।

शीरे की श्रेणी	शीरे में शक्कर की कुल मात्रा का प्रतिशत (अपचायक शक्कर के रूप में व्यक्त)
प्रथम	50 प्रतिशत तथा उसके ऊपर
द्वितीय	44 प्रतिशत से 49.99 प्रतिशत तक
तृतीय	40 प्रतिशत से 43.99 प्रतिशत तक

धारा 17–लेखे रखना और विवरणियां प्रस्तुत करना आदि–प्रत्येक शक्कर का अध्यासी और ऐसा व्यक्ति जिसे उक्त अध्यासी द्वारा शीरा अन्तरित अथवा सम्भरित किया जाय इस बात के लिए बाध्य होगा कि वह–

(क) ऐसे रजिस्टर, अभिलेख, लेखे उपकरण और प्रतिकर्मी द्रव्य रखे जो नियत किये जायें,

(ख) शीरे के उत्पादन और निस्तारण के सम्बन्ध में उन व्यक्तियों को और उन दिनांकों तक, ऐसी रीति से वे सभी ऐसी सूचनाएं दे और विवरणियाँ प्रस्तुत करें जो नियंत्रक आज्ञा द्वारा नियत करें,

(ग) आबकारी अधिकारी द्वारा, जो उप निरीक्षक (आबकारी) से निम्न श्रेणी का न हो, द्वारा मांग किये जाने पर ऐसे रजिस्टर, अभिलेख, लेख्य, उपकरण तथा रासायनिक प्रतिकर्मी द्रव्य प्रस्तुत करे, जिन्हें रखने की अपेक्षा उससे या तद्धीन बनाये गये नियमों अथवा दी गयी आज्ञाओं के उपबन्धों के अधीन की गयी हो।

धारा 18–कारखानों में तैनात निरीक्षकों के लिए आवास–शक्कर के कारखाने के अध्यासी, इस अधिनियम, तद्धीन बनाये गये नियमों, दी गयी आज्ञाओं तथा जारी किये गये निर्देशों के उपबन्धों का पालन सुनिश्चित करने के उदेश्य से नियंत्रक द्वारा शक्कर के कारखाने में तैनात किये गये आबकारी अधिकारियों के लिये शक्कर के कारखाने की प्रसीमाओं के भीतर, ऐसे किराये का भुगतान करने और ऐसी शर्तों पर, जो नियत की जाये आवास–स्थान की व्यवस्था करने के लिए बाध्य होगा।

धारा 22—नियम बनाने का अधिकार—

(1) राज्य सरकार गजट में पूर्व प्रकाशन के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशेषतः और पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :—

(क) परामर्श समिति का संघटन, उसके सदस्य चुने जाने की रीति, उनका कार्यकाल, उन्हें देय भत्ते यदि कोई हो, रीति जिसके अनुसार परामर्श समिति अपना परामर्श देगी और उसके कार्य—संचालन की प्रक्रिया,

(ख) परामर्श समिति के सदस्यों को हटाने से सम्बन्धित प्रक्रिया,

(ग) शक्कर के कारखानों द्वारा शीरे के संरक्षण और उसके संग्रहण से सम्बन्धित शर्तें,

(घ) शीरे के श्रेणीकरण और नमूने लेने के सम्बन्ध में विशिष्टियों और परीक्षण, जिसमें उसकी मात्रा तथा गुण की जाँच भी सम्मिलित है,

(ङ) शीरे की बिक्री और उसके सम्भरण की रीति,

(ङङ) रीति जिसके अनुसार धारा—8 की उपधारा (4) के अधीन देय प्रशासनिक प्रभार वसूल किया जाएगा,

(च) राज्य सरकार के समक्ष अपील का प्रपत्र और अपील करने की रीति तथा उसके निस्तारण में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया,

(छ) अपराधों में समझौता करने की प्रक्रिया,

(ज) शक्कर के कारखानों के अध्यासियों द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर, अभिलेख, लेखे, उपकरण तथा प्रतिकर्मी द्रव्य,

(झ) किराया और शर्तें, जिन पर शक्कर के कारखानों की प्रसीमाओं के भीतर आबकारी अधिकारी के लिए आवास की व्यवस्था की जाएगी,

(ञ) शीरे के उत्पादन, वितरण और उपयोग के सम्बन्ध में सूचना या आंकड़े एकत्र करना,

(ट) इस अधिनियम के अधीन जब्त किये गये शीरे और वस्तुओं का निस्तारण, तथा

(ठ) कोई अन्य विषय जो, नियत किये जाने हों या नियत किये जायें।

(3) इस अधिनिमय के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशाक्य शीघ्र, राज्य विधान—मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाये, वे गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान—मंडल के दोनों सदन करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार कोई परिष्कार या अभिशून्यन नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 820/XC-S-1–23-03S-2023
Dated Lucknow, March 9, 2023

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Sanshodhan) Vidheyak, 2023" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on February 22, 2023.

THE UTTAR PRADESH SHEERA NIYANTRAN (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2023

A

BILL

further to amend the Uttar Pradesh Sheera Niyantran Adhiniyam, . 1964

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2023.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from February 06, 2023.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 24 of 1964

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Sheera Niyantran Adhiniyam, 1964 (hereinafter referred to as the "principal Act"),–

(a) clause (a) shall be renumbered as (a-2) and before the said clause so renumbered the following clauses shall be *inserted*, namely:-

"(a) "B-Heavy molasses" means the molasses obtained as a result of curing of B-massecuite and having purity comparable with the average purity as obtained during the same period of previous three sugar seasons with the similar process in a vacuum pan sugar factory;

(a-1) "Brix" means the density of solution expressed on brix densitometric scale and taken to represent the percentage of dissolved solid matter in it;"

(b) for clause (d), the following clause shall be *substituted,* namely:-

"(d) "Molasses" means a heavy, dark coloured, viscous liquid produced as a by-product during the manufacture of sugar or khandsari sugar from the juice of sugarcane or sugar syrup when the liquid as such or in any form of admixture contains sugar and it also includes the by-product obtained during the manufacture of sugar through reverse process from rab or jaggery ;"

(c) clause (d-1) shall be *omitted*;

(d) for clause (e), the following clause shall be *substituted,* namely:-

"(e) "Occupier" means the person who has ultimate control over the

affairs of the sugar factory or Khandsari Sugar Manufacturing Unit and includes a managing agent of the factory or Khandsari Sugar Manufacturing Unit;"

(e) after clause (h), the following clause shall be *inserted*, namely:-

"(h-1) "Khandsari Sugar Manufacturing Unit" means a unit engaged or ordinarily engaged in the manufacture or production of or khandsari sugar in a reserved area, and which is capable of handling sugarcane juice produced with the aid of a horizontal crusher driven by any mechanical power;"

(f) for clause (i), the following clause shall be *substituted,* namely:-

"(i) "Supply" means to provide molasses by an occupier of a sugar factory or khandsari sugar manufacturing unit to its own unit or to any other unit such as distillery or any molasses based industry;"

(g) clause (j) shall be *omitted*;

(h) after clause (j), the following clauses shall be *inserted,* namely:-

"(k) "Sugarcane juice" means primary juice, secondary juice, mixed juice and clear juice as obtained by sulphitation or defecation process in a vacuum pan sugar factory;

(l) "Sugar syrup" means concentrated juice of sugarcane having total dissolved solid content not less than 50 as indicated by brix. Below 50 brix, it may be treated as thick juice or juice depending upon the concentration as indicated by brix percentage in a vacuum pan sugar factory; "

Amendment of section 5

3. In section 5 of the principal Act, after the word "factory", wherever occurring, the words "or a khandsari sugar manufacturing unit" shall be *inserted.*

Amendment of section 6

4. In section 6 of the principal Act, after the word "factory", wherever occurring, the words "or a khandsari sugar manufacturing unit" shall be *inserted.*

Amendment of section 7

5. In section 7 of the principal Act, after the word "factory", wherever occurring, the words "or a khandsari sugar manufacturing unit" shall be *inserted.*

Amendment of section 8

6. In section 8 of the principal Act,—

(a) for sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted,* namely:-

"(1) The Controller may, with the prior approval of the State Government, by order require the occupier of any sugar factory or a khandsari sugar manufacturing unit to sell or supply in the prescribed manner such quantity of molasses to such person, as may be specified in the order, and the occupier shall, notwithstanding any contract, comply with the order."

(b) in clause (b) of sub-section (2), after the word "factory", wherever occurring, the words "or a khandsari sugar manufacturing unit" shall be *inserted.*

(c) for sub-section (4), the following sub-section shall be *substituted,* namely:-

"(4) The State Government may, from time to time, in such manner as may be prescribed and at such rates as may be determined by the State Government by notification in the *Gazette*, impose regulatory fee on the sale or supply of any type of molasses from any sugar factory or khandsari sugar manufacturing unit either to its own unit or to any other unit such as distillery or any molasses based industry, in order to regulate the storage, preservation, distribution, supply, sale, transport, tracking and surveillance of such molasses, and such regulatory fee shall be recovered from the Occupier of the sugar factory or khandsari sugar manufacturing unit.

Explanation—For the purpose of this Act, all sugar factories as well as khandsari

sugar manufacturing units, irrespective of captive consumption of molasses of captive units, shall be equally subjected to regulation."

Amendment of section 10A

7. In section 10A of the principal Act, after the word "factory", the words "or a khandsari sugar manufacturing unit" shall be *inserted*.

Amendment of section 17

8. In section 17 of the principal Act, after the word "factory", the words "or a khandsari sugar manufacturing unit" shall be *inserted* and for the word "transferred", the word "sold " shall be *substituted*.

Amendment of section 18

9. In section 18 of the principal Act,—

(a) in the marginal heading after the word "factories", the words "or khandsari sugar manufacturing units" shall be *inserted*;

(b) after the word "factory", wherever occurring, the words "or a khandsari sugar manufacturing unit" shall be *inserted*.

Amendment of section 22

10. In section 22 of the principal Act, after the word "factories", wherever occurring, the words "or khandsari sugar manufacturing units" shall be *inserted* and for the words "administrative charges", the words "regulatory fees" shall be *substituted*.

Repeal and saving

11. (1) The Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Sanshodhan) Adhyadesh, 2023 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 1 of 2023

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Shcera Niyantran Adhiniyam, 1964 (U.P. Act no. 24 of 1964) (hereinafter referred to as the "said Act") has been enacted to provide for the control of storage,gradation and price of molasses produced by sugar factories in Uttar Pradesh and the regulation of supply and distribution thereof.

At present there are around 158 sugar factories in the State of Uttar Pradesh out of which only 120 units are currently manufacturing sugar and producing molasses as its by-product. Besides these sugar factories, there has also been an unexpected growth in the Khandsari Sugar manufacturing Units which are engaged in manufacturing and production of khandsari sugar and its derivatives like molasses. It has often been observed that uncontrolled and unregulated sale of molasses released from Khandsari units is taking place due to which smuggling of molasses has continued unabated.The illegal conversion of molasses into alcoholic Liquar not only entails colossal loss of revenue but also takes heavy toll on human life.

Therefore, it has become expedient to regulate the transaction and business in molasses obtained as a by-product not only from sugar factories but also from Khandsari Sugar Manufacturing Units in order to prevent smuggling of molasses and its deceptive diversion. In view of the above, it was decided to amend the relevant sections of the said Act to impose regulatory fee on sale, supply and distribution of

molasses released from sugar industries as well as Khandsari Sugar Manufacturing Units so as to meet the cost and expenses incurred in supervision and control over such release of molasses.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Sanshodhan) Adhyadesh, 2023 (U.P. Ordinance no. 1 of 2023) was promulgated by the Governor on Fabruary 06, 2023.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

NITIN AGARWAL
Rajya Mantri (Swatantra Prabhar),
Aabkaari.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1254 राजपत्र–2023–(2097)–599+25+5=629 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।